राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 677 / 2016

1. सतनामसिंह पुत्र लखासिंह जाति रायसिख साकिन 1 एच. बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — **प्रार्थी**

—:: बनाम ::—

1. पंकज कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति अरोड़ा निवासी खाट लबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सेवकसिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति जटसिख निवासी 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

— — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री औम प्रकश बत्तरा अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री राजकुमार नागपाल अधिवक्ता — अप्रार्थी संख्या 2

— :: निर्णय ::—

दिनांक :— 24.06.2017

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पास चक 1 जे बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 31 में किला नम्बर 1, 10, 11, 12, 13 एवम् 17 / 3 व 20, 21, 22, 23, 24, 25 में 2.703 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 36 में किला नम्बर 15 / 1 में 0.089 हैक्टर खरीद किया हुआ है।

पूर्व में घरू तौर पर रास्ता मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 5, 6, 14, 17, 23 व मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 3, 2 में रास्ता चल रहा है। इसी रास्तो से प्रार्थी अपनी जमीन में आ जा रहा है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है तथा यही रास्ता सुविधाजनक है। इसके अलावा और कोई रास्ता सुविधाजनक नहीं है।

अग गैर सायल द्वारा प्रार्थी को इस रास्ता से जानें से मना कर रहा है। तथा रास्ते में आनें जानें के लिये रूकावट पैदा कर रहा है। यदि उन्होनें रास्ता बन्द कर दिया तो प्रार्थी अपनें खेत में नहीं आ जा सकेगा जिससे प्रार्थी को भारी परेशानी होगी।

प्रार्थी अपनी जमीन में जानें के लिये रास्ते की आवश्यक्ता है यही रास्ता नजदीक व सुविधाजनक है तथा काफी वर्ष से यह रास्ता चल रहा है। सुविधा व नजदीक के लिहाज से उपरोक्त रास्ता मन्जूर किया जाना अति आवश्यक है।

अतः चक 1 जे बड़ा के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 5, 6, 14, 17, 23 व मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 2, 3 में से रास्ता स्वीकृत किया जानें का आदेश फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 2

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट भिजवाई गई रिपोर्ट में कथन किया गया कि चक 1 जे बड़ा के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1, 10, 11, 12, 13, 17/2, 20, 21 प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जबकि मुरब्बा नम्बर 31 का किला नम्बर 22 ता 25 तथा मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 15/1 जो कि प्रार्थी की पत्नी के नाम खरीद किया हुआ बताया गया है। के बैयनामा फर्जी होनें के सम्बंध में एफ.आई.आर संख्या 178 दिनांक 04.11.2012 दर्ज है अनुसंधान जारी है। रकबा विवादित है।

उक्त रकबा के लिये प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 5, 6 तक पहुचनें के लिये कोई स्वीकृत शुद्धा रास्ता नहीं है। जिसमें प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को स्वीकृत करनें का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खाट लबाना में वाद में वर्णित भूमि का मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा कथन किया गया कि पूर्व रिर्पोट यथावत है कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि के बैयनामा फर्जी होनें के सम्बंध में एफ.आई.आर संख्या 178 दिनांक 04.11.2012 दर्ज है अनुसंधान जारी है। रकबा विवादित है। इस कारण विवादित रकबा के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय किया जाना न्यायोचित नंहीं है।

– :: आदेश ::–

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि विवादित होनें के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 24.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर